

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय प्राथमिक विधालय मूढों का तला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हनुमानराम पुत्र गोदूराम 2. राहिगाराम पुत्र गोदूराम 3. देराराम पुत्र गोदूराम 4 दीपाराम पुत्र गोदूराम 5 चम्पा पत्नी मोतीराम 6 मद्देवी पत्नी पदमाराम 7 आईदानराम पुत्र पुखाराम 8 लिखमाराम पुत्र सोनाराम 9 तीजोंदेवी पत्नी गुमनाराम जाति जाट निवासी सादुलाणियों का तला सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर		1. रूपाराम पुत्र राजूराम 2. धरमाराम पुत्र सोनाराम 3 खेताराम पुत्र जेठाराम 4 पदमाराम पुत्र देवाराम 5 लाधाराम हिन्दुराम 6 पेमाराम पुत्र हीराराम 7 गिरधारीराम पुत्र पदमाराम जातियान जाट 8 राणाराम पुत्र आईदानराम 9 मगाराम पुत्र हिन्दुराम जातियान दर्जी समस्त निवासी सादुलाणियों का तला सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-427/2019 दिनांक-16.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सादुलाणियों का तला पटवार हल्का सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 962 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 1055/963 रकबा 98.12 बीघा, खसरा नंबर 1190/963 रकबा 18.04 बीघा, खसरा नंबर 1191/963 रकबा 33.11 बीघा, खसरा नंबर 1060/963 रकबा 31.00 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6340-6343

दिनांक- 16/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी ~~रामा~~ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हनुमानराम पुत्र गोदूराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान सादुलाणियों का तला सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी रूपाराम पुत्र राजूराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान सादुलाणियों का तला सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर